न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 1/2022

1. श्रीमती राजेश देवी पत्नी श्री रघुवीर
2. मनेश्वरी देवी पत्नी श्री राजेन्द्र

समस्त जाति जाट, निवासीगण ग्राम बिशनपुरा प्रथम, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।

——अपीलान्ट्स

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चिडावा जिला झुंझुनूं।

——रेस्पोडेन्ट्स

——

प्रथम अपील अ0 धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधि0 1956 के तहत बखिलाफ न्यायालय तहसीलदार चिडावा नामान्तकरण सं0 411 दिनांक 22.10.2021 ग्राम गोविन्दपुरा पटवार हल्का धतरवाला, तहसील चिडावा जिला झुंझुनूं।

——

1. श्री राजेन्द्र सिंह बुडानिया, एडवोकेट– अपीलान्ट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 09.05.2022

उक्त विषयक अपील मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 के विद्वान तहसीलदार चिडावा के नामान्तरकरण संख्या 411 दिनांक 22.10.2021 भूमि ग्राम गोविन्दपुरा के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गयी। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलान्ट्स के अनुसार राजस्व ग्राम गोविन्दपुरा के हाल खसरा नम्बर 119 क्षै0 162 हैक्टर, खसरा नम्बर 124 क्षै0 1.99 हैक्टर, खसरा नम्बर 125 क्षै0 2.0 हैक्टर, खसरा नम्बर 163 क्षै0 2.72 हैक्टर, खसरा नम्बर 22 क्षै0 2.54 हैक्टर कुल खसरे 5 कुल क्षेत्रफल 10.87 हैक्टर भूमि की खातेदार किताब पुत्री श्योलाल उर्फ शिवलाल हिस्सा 1/6 को अपीलान्ट द्वारा दिनांक 05.01.2016 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय किया गया था। तत्पश्चात पंजीबद्ध विक्रय पत्र के आधार पर उपरोक्त वर्णित राजस्व रिकॉर्ड मे विक्रेता (खातेदार) किताब पुत्री श्योलाल उर्फ शिवपाल के 1/6 हिस्से के स्थान पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 300 दिनांक 05.03.2016 को तस्दीक होकर अपीलान्ट का नाम उपरोक्त वर्णित भूमि राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार संयुक्त रूप से 1/6 हक हिस्से बाबत नाम दर्ज हुआ था। जो अपीलाधीन आदेश तक यथावत रहा है। उपरोक्त वर्णित भूमि के बाबत एक वाद पत्र संख्या 214/2011 उनवानी धनाराम वगैरह बनाम जडाव वगैरह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा दिनांक 22.09.2021 को निर्णित होकर डिकी हुआ उक्त वाद पत्र में अपीलान्ट पक्षकार नही थी [illegible] अपीलान्ट को भूमि विक्रय करने वाली खातेदार किताब पुत्री श्री श्योलाल उर्फ शिवपाल वाद [illegible] में प्रतिवादी संख्या 06 रही है जो वाद पत्र में उपस्थित नही हुई इस प्रकार उक्त वाद पत्र का [illegible] अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना व विक्रेता किताब पुत्री श्री श्योलाल उर्फ [illegible] 06 की गैर [illegible] में हुआ है। वाद पत्र के निर्णय में विक्रेता पक्षका[illegible] को हाल खसरा नम्ब[illegible] क्षै0 2.0 हैक्टर, खसरा नम्बर 163 क्षै0 2.72 हैक्टर व खसरा नम्बर 257/4 क्षै0 0.96 हैक्टर भूमि में 1/2 हिस्से खातेदारी प्राप्त हुई व उक्तानुसार ही उपरोक्त वर्णित भूमि का खाता विभाजन हुआ। वाद पत्र के निर्णय व डिकी पालना में रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश नामान्तरकरण संख्या 411 दिनांक 22.10.2021 पारित हुआ। उक्त नामान्तरण आदेश से उपरोक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में पूर्व से राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपीलान्ट का नाम हजफ किया जा कर पुनः विक्रेता किताब पुत्री श्री श्योलाल उर्फ शिवलाल का नाम राजस्व रिकार्ड मे गलत रूप से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया गया है। अपीलान्ट उक्त नामान्तरण आदेश से व्यथित होने से अपील नीचे लिखे अनुसार प्रस्तुत कर रहे है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.19 12:12:47 IST
Reason: SelfAttested

नामान्तकरण संख्या 411 दिनांक 22.10.2021 खिलाफ कानून न्याय व पत्रावली है। अदालत मातहत को राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाने का कोई कानूनी अधिकार नही रहा है। वाद पत्र के निर्णय में भी अपीलान्ट के हक हिस्से के बाबत कोई निर्णय पारित नही हुआ है। उक्त नामान्तरण संख्या 411 दिनांक 22.12.2021 को तस्दीक होने से पूर्व हाल खसरा नम्बर 125 एवं 163 की भूमि की खाता संख्या नया 22 अपीलान्ट का नाम बतौर खातेदार काश्तकार जमाबन्दी के कम संख्या 7 व 8 पर प्रत्येक का 1/12 हक हिस्से के राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपीलान्ट में नाम को हटाने के बाबत अदालत मातहत द्वारा अनियमितता व अवैधानिकता की गई है। उक्त नामान्तरण संख्या 411 तस्दीक करने से पूर्व अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई नोटिस नही दिया गया। अपीलान्ट की गैर हाजरी में उक्त नामान्तरकरण संख्या 411 तस्दीक हुआ है। हाल खसरा नम्बर 119, 124, 125, 163 एवं 22 कुल क्षै. 10.87 हैक्टर में से विकेता किताब पुत्री श्री श्योलाल उर्फ शिवपाल ने स्वयं का सम्पुर्ण 1/6 हक हिस्से का विकय पत्र अपीलान्ट के हक में पंजीबद्व करवाया गया था। विकय पत्र पंजीबद्ध होने के बाद उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में विकेता किताब के 1/6 हक हिस्से की खातेदारी अपीलान्ट के नाम जरिये नामान्तरण संख्या 300 दिनांक 05.01.2016 को दर्ज हुई थी। जिस बाबत विकेता किताब व केता अपीलान्ट के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद नही रहा है ना ही वर्तमान में काई विवाद है। अदालत मातहत द्वारा राजस्व रिकार्ड को नजर अंदाज कर लापरवाही पूर्वक उक्त आलौच्य आदेश नामान्तरण संख्या 411 गलत रूप से तस्दीक हुआ है। अदालत मातहत द्वारा वाद पत्र संख्या 214/2011 के निर्णय एवं डिकी की पालना में अपीलान्ट का राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम हटाने की स्थिति में रेस्पोडेन्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा से उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर अथवा विकेता किताब एवं केतागण अपीलान्ट को नोटिस जारी कर समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर आलौच्य आदेश पारित करना चाहिए था। जो अदालत मातहत द्वारा तथ्य एवं विधि की भूल कारित हुई है। अदालत मातहत को विकेता किताब (वाद पत्र में पक्षकार प्रतिवादी संख्या 06) के वाद पत्र के निर्णय एवं डिकी के मुताबिक प्राप्त हक हिस्से की भूमि हाल खसरा नम्बर 125 से 163 के राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट का पूर्व में दर्ज हक हिस्से की भूमि का रकबा 0.96 हैक्टर भूमि के बाबत राजस्व रिकार्ड में आलौच्य आदेश के तहत हक हिस्से की खातेदारी दर्ज करनी चाहिए थी। जो अदालत मातहत द्वारा दर्ज नही कर तथ्य एवं विधि की भूलकारित हुई है। वाद पत्र के निर्णय व डिकी के मुताबिक विकेता किताब पुत्री श्री श्योलाल उर्फ शिवलाल का नाम खाता संख्या नया 21 खसरा नम्बर 125, 163 व 257/4 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज 1/2 हिस्से में अपीलान्ट का विकय पत्र के मुताबिक हाल खसरा नम्बर 125 एवं 163 में कानूनन हक हिस्सा जिस बाबत विकेता किताब को भी कोई आपत्ति नही है तथा विकेता किताब का हक हिस्सा किसी बैंक के रहन नहीं है और उक्त जमाबनदी खाता संख्या नया 21 के अन्य खातेदारान को अपीलान्ट का राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज होने पर कोई उज्र/विवाद नही है। अपील मे राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारान इस कारण आवश्यक पक्षकार नही है। अपील में अनावश्यक देरी ना हो व अन्य कोई पैचिदगियां ना हो तथा अनावश्यक पक्षकार संयोजित नही किया जाना उचित होने से केवल रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध मौजूदा अपील पेश की जा रही है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश नामान्तकरण सं. 411 दिंनाक 22.10.2021 को निरस्त कर पत्रावली अदालत मातहत को इस आदेश के साथ पुनः प्रेषित की जावे कि राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट के नाम दर्ज होने के बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा से निर्णय व डिकी की पालना के सम्बन्ध में मार्गदर्शन प्राप्त कर अथवा अपीलान्ट व विकेता किताब पुत्री श्री श्योलाल उर्फ शिवलाल को नोटिस जारी कर समुचित सुनवाई का अवसर देकर पुनः नामान्तरण दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.19 12:12:47 IST
Reason: SelfAttested

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्टस ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि रिकार्ड में दर्ज अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाने का कोई कानूनी अधिकार नही रहा है। वाद पत्र के निर्णय में भी अपीलान्ट के हक हिस्से के बाबत कोई निर्णय पारित नही हुआ है। उक्त नामान्तरण संख्या 411 दिनांक 22.12.2021 को तस्दीक होने से पूर्व हाल खसरा नम्बर 125 एवं 163 की भूमि की खाता संख्या नया 22 अपीलान्ट का नाम बतौर खातेदार काश्तकार जमाबन्दी के कम संख्या 7 व 8 पर प्रत्येक का 1/12 हक हिस्से के राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपीलान्ट में नाम को हटाने के बाबत अदालत मातहत द्वारा अनियमितता व अवैधानिकता की गई है। उक्त नामान्तरण संख्या 411 तस्दीक करने से पूर्व अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई नोटिस नही दिया गया। अपीलान्ट की गैर हाजरी में उक्त नामान्तरकरण संख्या 411 तस्दीक हुआ है।

हाल खसरा नम्बर 119, 124, 125, 163 एवं 22 कुल क्षै0 10.87 हैक्टर में से विक्रेता किताब पुत्री श्री श्योलाल उर्फ शिवपाल ने स्वयं का सम्पुर्ण 1/6 हक हिस्से का विक्रय पत्र अपीलान्ट के हक में पंजीबद्व करवाया गया था। विक्रय पत्र पंजीबद्ध होने के बाद उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में विक्रेता किताब के 1/6 हक हिस्से की खातेदारी अपीलान्ट के नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 300 दिनांक 05.01.2016 को दर्ज हुई थी। जिस बाबत विक्रेता किताब व केता अपीलान्ट के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद नही रहा है ना ही वर्तमान में काई विवाद है। अदालत मातहत द्वारा वाद पत्र संख्या 214/2011 के निर्णय एवं डिक्री की पालना में अपीलान्ट का राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम हटाने की स्थिति में रेस्पोडेन्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा से उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर अथवा विक्रेता किताब एवं केतागण अपीलान्ट को नोटिस जारी कर समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर आलौच्य आदेश पारित करना चाहिए था। अदालत मातहत को विक्रेता किताब (वाद पत्र में पक्षकार प्रतिवादी संख्या 06) के वाद पत्र के निर्णय एवं डिक्री के मुताबिक प्राप्त हक हिस्से की भूमि हाल खसरा नम्बर 125 से 163 के राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट का पूर्व में दर्ज हक हिस्से की भूमि का रकबा 0.96 हैक्टर भूमि के बाबत राजस्व रिकार्ड में आलौच्य आदेश के तहत हक हिस्से की खातेदारी दर्ज करनी चाहिए थी। वाद पत्र के निर्णय व डिक्री के मुताबिक विक्रेता किताब पुत्री श्री श्योलाल उर्फ शिवलाल का नाम खाता संख्या नया 21 खसरा नम्बर 125, 163 व 257/4 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज 1/2 हिस्से में अपीलान्ट का विक्रय पत्र के मुताबिक हाल खसरा नम्बर 125 एवं 163 में कानूनन हक हिस्सा जिस बाबत विक्रेता किताब को भी कोई आपत्ति नही है तथा विक्रेता किताब का हक हिस्सा किसी बैंक के रहन नहीं है और उक्त जमाबनदी खाता संख्या नया 21 के अन्य खातेदारान को अपीलान्ट का राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज होने पर कोई उज्र/विवाद नही है। अपील मे राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारान इस कारण आवश्यक पक्षकार नही है। अपील में अनावश्यक देरी ना हो व अन्य कोई पैचिदगियां ना हो तथा अनावश्यक पक्षकार संयोजित नही किया जाना उचित होने से केवल रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध मौजूदा अपील पेश की जा रही है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश नामान्तकरण सं0 411 दिंनाक 22.10.2021 को निरस्त कर पत्रावली अदालत मातहत को इस आदेश के साथ पुनः प्रेषित की जावे कि राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट के नाम दर्ज होने के बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा से निर्णय व डिक्री की पालना के सम्बन्ध में मार्गदर्शन प्राप्त कर अथवा अपीलान्ट व विक्रेता किताब पुत्री श्री श्योलाल उर्फ शिवपाल को नोटिस जारी कर समुचित सुनवाई का अवसर देकर पुनः नामान्तरण दर्ज किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चिडावा द्वारा पारित आदेशों की पालना मे भरा गया है एवं नियमानुसार भरा गया है जिसमे कोई त्रुटि नही है। तहसीलदार नामान्तरकरण भरते समय मार्गदर्शन हेतु बाध्य नही है। अपीलान्ट को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चिडावा के आदेश के विरूद्ध अपीलेट कोर्ट मे चाहीजोही करना चाहिए। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। दस्तावेजों के अवलोकन से वकील अपीलान्ट का यह कथन उचित प्रतीत है कि विक्रय पत्र पंजीबद्ध होने के बाद उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में विक्रेता किताब के 1/6 हक हिस्से की खातेदारी अपीलान्ट के नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 300 दिनांक 05.01.2016 को दर्ज हुई थी जिस बाबत विक्रेता किताब व केता अपीलान्ट के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद नही है। अदालत मातहत द्वारा वाद पत्र संख्या 214/2011 के निर्णय एवं डिक्री की पालना में अपीलान्ट का राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम हटाने की स्थिति में रेस्पोडेन्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा से उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर अथवा विक्रेता किताब एवं केतागण अपीलान्ट को नोटिस जारी कर समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर आलौच्य आदेश पारित करना चाहिए था। अदालत मातहत को विक्रेता किताब (वाद पत्र में पक्षकार प्रतिवादी संख्या 06) के वाद पत्र के निर्णय एवं डिक्री के मुताबिक प्राप्त हक हिस्से की भूमि हाल खसरा नम्बर 125 से 163 के राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट का पूर्व में दर्ज हक हिस्से की भूमि का रकबा 0.96 हैक्टर भूमि के बाबत राजस्व रिकार्ड में आलौच्य आदेश के तहत हक हिस्से की खातेदारी दर्ज करनी चाहिए थी। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार चिडावा द्वारा नामान्तकरण संख्या 411 ग्राम गोविन्दपुरा के विरूद्ध पारित आदेश दिनांकित 22.10.2021 निरस्त किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.19 12:12:47 IST
Reason: SelfAttested

जाता है तथा अदालत मातहत तहसीलदार चिडावा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण मे अपीलान्ट व विकेता किताब पुत्री श्री श्योलाल उर्फ शिवपाल को नोटिस जारी कर समुचित सुनवाई का अवसर देकर एवं साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 09.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर,
जिला कलक्टर झुन्झुनूं
जिला झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.19 12:12:47 IST
Reason: SelfAttested